

2022/229

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरौही

बनाम

अप्रार्थी/रेस्पोंडेन्ट

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी शिवगंज

प्रार्थी/अपीलांत

श्री नरसिंह पुत्र श्री बिहारीमल
जाति राजपुरोहित
निवासी पुराडा पोस्ट पोमावा
तहसील सुमेरपुर जिला पाली।
किस्म मुकदमा- अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

मुकदमा नं. 27 वर्ष 2022

दिनांक हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
16.05.2022	<p>अपीलांत ने यह प्रथम अपील रेस्पोंडेन्ट के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांत की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांत द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा लोक अधिकारी उपखण्ड अधिकारी शिवगंज को दिनांक 04.04.2022 एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया गया कि दिनांक 01.03.2022 को अपीलार्थी एवं समस्त ग्राम पुराडा की ओर से उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर को एक ज्ञापन दिया गया, जिसकी एक प्रति उपखण्ड अधिकारी शिवगंज को भी दी गई। उक्त ज्ञापन पर उपखण्ड अधिकारी शिवगंज द्वारा की गई समस्त कार्यवाही की सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयवधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांत द्वारा निर्धारित शुल्क रुपये 10 जमा करा दिये है। अपीलांत द्वारा लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी शिवगंज को दिनांक 04.04.2022 एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया गया कि दिनांक 01.03.2022 को अपीलार्थी एवं समस्त ग्राम पुराडा की ओर से उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर को एक ज्ञापन दिया गया, जिसकी एक प्रति उपखण्ड अधिकारी शिवगंज को भी दी गई। उक्त ज्ञापन पर उपखण्ड अधिकारी शिवगंज द्वारा की गई समस्त कार्यवाही की सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। अतः अपीलांत की अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी शिवगंज को आदेशित किया जाता है कि अपीलांत द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें। यदि सूचना देना नियमों में संभव नहीं हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांत को सूचित करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	

(डॉ. भैवर लाल)

जिला कलक्टर, सिरौही

